संघ विधान पत्र

1.समिति का नाम –	.... समिति, राजकीय माध्यमिक विद्यालय , ... पं0 स0 .... जिला राजसमन्द
2.पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षैत्र–	इस समिति का कार्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय .... पं0 स0 .... जिला राजसमन्द है तथा इस समिति का कार्यक्षैत्र समिति के पंजीकृत कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के निवास के कुल भौगोलिक क्षैत्र तक रहेगा , किन्तु विकास कार्य केवल विद्यालय परिसर एवं विद्यालय से संबंधित खेल मैदान में ही कराये जाएंगे।
3. समिति के उद्धेश्य –	समिति के उद्धेश्य निम्नानुसार होंगें :– (1) संबंधित विद्यालय के लिए एक विकास कोष बनाना जिससे विद्यालय के भवन, उपस्कर एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित विकास के कार्य किए जा सकेंगे। (2) संबंधित विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना जिससे राजकीय सहायता एवं अन्य माध्यमों से आवश्यक परिचालन व मरम्मत व्यय वहन किया जा सके। (3) विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों, सामान्य जनता एवं अन्य दानदाताओं से फीस/दान प्राप्त करना। (4) विद्यालय भवन के विस्तार व अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की जन सहभागिता आधारित योजनाओं से संस्था विकाष कोष के योगदान के आधार पर विकास कार्य करवाना। (5) अन्य उद्धेश्य जिससे संस्था की परिसम्पतियों का बेहतर उपयोग हो सके।

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं हैं।

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

4.कार्य समिति का गठन :— समिति का कार्यभार एक कार्यकारिणी समिति में निहीत रहेगा जिसके प्रथम पदाधिकारी निम्न होंगें :—

क्र. सं.	नाम / पिता का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1		प्राचार्य / प्रधानाचार्य		अध्यक्ष
2		[illegible] समुदाय का व्यक्ति		सदस्य
3		अभिभावकों में से एक महिला		सदस्य
4		अभिभावकों में से एक व्यक्ति		सदस्य
5		वाईस प्रिन्सीपल		सदस्य
6		समाजिक विज्ञान का अध्यापक		सदस्य
7		विज्ञान का अध्यापक		सदस्य
8		गणित का अध्यापक		सदस्य
9		पंचायत शहरी निकाय का सदस्य		सदस्य
10		पंचायत शहरी निकाय का सदस्य		सदस्य
11		आडिट व वित्त विभाग का व्यक्ति		सदस्य
12		शैक्षिक रूप से पिछडें अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति		सदस्य
13		महिला समुहों का सदस्य		सदस्य
14		ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य		सदस्य
15		विज्ञान, मावविकी एवं कला / संस्कृति / क्राफ्ट की पृष्ठ भूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनित सदस्य		सदस्य
16		विज्ञान, मावविकी एवं कला / संस्कृति / क्राफ्ट की पृष्ठ भूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनित सदस्य		सदस्य
17		विज्ञान, मावविकी एवं कला / संस्कृति / क्राफ्ट की पृष्ठ भूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनित सदस्य		सदस्य
18		जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनित अधिकारी		सदस्य

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत करवाने के ईच्छुक हैं:–

क्र. सं.	नाम / पिता का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1		प्राचार्य / प्रधानाचार्य		अध्यक्ष
2		``ैब्ट समुदाय का व्यक्ति		सदस्य
3		अभिभावकों में से एक महिला		सदस्य
4		अभिभावकों में से एक व्यक्ति		सदस्य
5		वाईस प्रिन्सीपल		सदस्य
6		समाजिक विज्ञान का अध्यापक		सदस्य
7		विज्ञान का अध्यापक		सदस्य
8		गणित का अध्यापक		सदस्य
9		पंचायत शहरी निकाय का सदस्य		सदस्य
10		पंचायत शहरी निकाय का सदस्य		सदस्य
11		आडिट व वित्त विभाग का व्यक्ति		सदस्य
12		शैक्षिक रूप से पिछडें अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति		सदस्य
13		महिला समुहों का सदस्य		सदस्य
14		ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य		सदस्य
15		विज्ञान, मावविकी एवं कला / संस्कृति / क्राफ्ट की पृष्ठ भूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनित सदस्य		सदस्य
16		विज्ञान, मावविकी एवं कला / संस्कृति / क्राफ्ट की पृष्ठ भूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनित सदस्य		सदस्य
17		विज्ञान, मावविकी एवं कला / संस्कृति / क्राफ्ट की पृष्ठ भूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनित सदस्य		सदस्य
18		जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनित अधिकारी		सदस्य

हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्त्ताओं को हम जानते है व इन्होनें हमारे सामने अपने–अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषणा करते है कि हम इस संस्था के सदस्य नहीं हैं।

हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी

(नाम,व्यवसाय,पता व पद)

हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी

(नाम,व्यवसाय,पता व पद)

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

विधान नियमावली

1.समिति का नाम – .... समिति, राजकीय माध्यमिक विद्यालय , ... पं0 स0 .... जिला राजसमन्द

2.पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र– इस समिति का कार्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय .... पं0 स0 .... जिला राजसमन्द है तथा इस समिति का कार्यक्षैत्र समिति के पंजीकृत कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के निवास के कुल भौगोलिक क्षैत्र तक रहेगा , किन्तु विकास कार्य केवल विद्यालय परिसर एवं विद्यालय से संबंधित खेल मैदान में ही कराये जाएंगे।

3. समिति के उद्धेश्य – समिति के उद्धेश्य निम्नानुसार होंगें :–

(1) संबंधित विद्यालय के लिए एक विकास कोष बनाना जिससे विद्यालय के भवन, उपस्कर एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित विकास के कार्य किए जा सकेंगे।

(2) संबंधित विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना जिससे राजकीय सहायता एवं अन्य माध्यमों से आवश्यक परिचालन व मरम्मत व्यय वहन किया जा सके।

(3) विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों, सामान्य जनता एवं अन्य दानदाताओं से फीस/दान प्राप्त करना।

(4) विद्यालय भवन के विस्तार व अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की जन सहभागिता आधारित योजनाओं से संस्था विकाष कोष के योगदान के आधार पर विकास कार्य करवाना।

(5) अन्य उद्धेश्य जिससे संस्था की परिसम्पतियों का बेहतर उपयोग हो सके।

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं हैं।

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

4.सदस्यता :–

इस समिति के सदस्य निम्नांकित होंगे :–

(1) संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के पिता/संरक्षक ।

(2) संबंधित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक ।

(3) संबंधित कार्यक्षैत्र में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य/नगरपालिका पार्षद/पंचायत समिति सदस्य/वार्ड पंच।

(4) संबंधित कार्यक्षैत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख/प्रधान/सरपंच/नगरपालिका अध्यक्ष।

(5) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनित तीन शिक्षाविद/शिक्षा प्रशासक या सेवानिवृत शिक्षक।

(6) समिति की कार्यकारिणी में मनोनित सदस्य।

5.साधारण सभा :–

समिति के उपनियम संख्या 5 में अंकित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्णय करेंगें। समिति की कार्यकारिणी का अध्यक्ष व सदस्य सचिव साधारण सभा के अध्यक्ष व सचिव होंगें।

6.सदस्यों का वर्गीकरण :–

समिति के सभी सदस्य साधारण सदस्य होंगें।

7.सदस्यों द्वारा शुल्क व चन्दा :–

साधारण सभा के सदस्यों द्वारा कोई शुल्क व चन्दा प्रारम्भ में अनिवार्य नहीं होगा। सदस्य स्वेच्छा से चन्दा दे सकेंगें। समिति की साधारण सभा दो तिहाई बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकेगी।

8.सदस्यता की समाप्ति :–

सामान्य सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त निम्न स्थितियों में स्वतः हो जाएगी :–

1. मृत्यु होने पर ।
2. त्याग पत्र देने पर ।
3. निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित सदस्य नहीं रहने पर।

9.साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्यः–

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगें।

(1) कार्यकारिणी समिति द्वारा संस्था के परिचालन व्यय मद में आय व्यय अंतर होने पर छात्रों से वसूल की जाने वाली फीस के प्रस्ताव का अनुमोदन।

(2) संस्था के विकास हेतु आवश्यक विकास राशि के ईकठ्ठा करने पर विचार विमर्श व निर्णय।

(3) कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

नोटः– साधारण सभा में निर्णय प्रथमतः सर्वसम्मति से व सर्वसम्मति से नहीं होने पर बहुमत से लिये जाएंगे।

10.साधारण सभा की बैठक :–

(1) साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

(2) साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 50 : होगा।

(3) बैक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी व अत्यावश्यक बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दी जायेगी।

(4) कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो पुनः सात दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगें जो पूर्व के एजेण्डा में थे।

(5) संस्थान के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर सदस्य सचिव/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा।

– निर्धारित अवधि में सदस्य सचिव/अध्यक्ष द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगें तथा इस प्रकार की बैठक मे होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगें।

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

11.कार्यकारिणी का गठन :— समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति की एक कार्यकारिणी समिति होगी , जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगें—

क्र. सं.	नाम / पिता का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1		प्राचार्य / प्रधानाचार्य		अध्यक्ष
2		[illegible] समुदाय का व्यक्ति		सदस्य
3		अभिभावकों में से एक महिला		सदस्य
4		अभिभावकों में से एक व्यक्ति		सदस्य
5		वाईस प्रिन्सीपल		सदस्य
6		समाजिक विज्ञान का अध्यापक		सदस्य
7		विज्ञान का अध्यापक		सदस्य
8		गणित का अध्यापक		सदस्य
9		पंचायत शहरी निकाय का सदस्य		सदस्य
10		पंचायत शहरी निकाय का सदस्य		सदस्य
11		आडिट व वित्त विभाग का व्यक्ति		सदस्य
12		शैक्षिक रूप से पिछडें अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति		सदस्य
13		महिला समुहों का सदस्य		सदस्य
14		ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य		सदस्य
15		विज्ञान, मावविकी एवं कला / संस्कृति / क्राफ्ट की पृष्ठ भूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनित सदस्य		सदस्य
16		विज्ञान, मावविकी एवं कला / संस्कृति / क्राफ्ट की पृष्ठ भूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनित सदस्य		सदस्य
17		विज्ञान, मावविकी एवं कला / संस्कृति / क्राफ्ट की पृष्ठ भूमि वाले जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनित सदस्य		सदस्य
18		जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनित अधिकारी		सदस्य

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

12.

क्र. सं.	विद्यालय विकास समिति की उप समिति का नाम	उपसमिति में चयन किये जाने वाले सदस्य	उप समिति का कार्य
1.	विद्यालय भवन समिति	1–प्राचार्य/प्रधानाचार्य–अध्यक्ष	1.विद्यालय विकास समिति के खातों का संधारण
		2–पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधी–सदस्य	2.योजना निर्माण, प्रबंधन, मोनिटरिंग,पर्यवेक्षण, रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण
		3–अभिभावक–सदस्य	3.सभी प्रकार के निर्माण कार्य यथा नये निर्माण, मरम्मत रखरखाव
		4–निर्माण कार्य से जुडे अनुभवी व्यक्ति–ै। का इंजिनियर–सदस्य	
		5–लेखा/आडिट शाखा का व्यक्ति–सदस्य	
2.	शैक्षिक समिति	1–प्राचार्य/प्रधानाचार्य–अध्यक्ष	1.के आंकडों का सग्रहण, मानिटरिंग एवं प्रबंध
		2–अभिभावक–सदस्य	2.सभी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियॉ
		3–विज्ञान या गणित का विशेषज्ञ–सदस्य	3.शिक्षा में गुणवत्ता सुधार
		4–मानविकी क्षैत्र का सदस्य	4.शिक्षा में लिंग विभेद व अन्य सामाजिक अडचनों को दूर करना।
		5–कला/संस्कृति/क्राफ्ट/खेलकूद क्षैत्र का विशेषज्ञ–सदस्य	5.पाठ्य सहगामी व पाठ्योत्तर गतिविधियों का आयोजन व नियंत्रण
		6–प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा चयनित विद्यार्थी–सदस्य	6.शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थिति
			7.विद्यार्थियो की उपलब्धि
			8.विद्यार्थियों व शिक्षकों का व्यक्तित्व विकास
			9.शिक्षको को प्रशिक्षण, निर्देशन व काउन्सलिंग के लिए नामित करना

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

13.कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल :— कार्यकारिणी के मनोनित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अन्य सदस्य पदेन रहेंगें।

14.कार्यकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :— समिति की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगें—

(1) विकास कोष से कराये जाने वाले विकास कार्यो का निर्णय करना, लागत अनुमोदित करना , कराये जाने वाले कार्यो की प्रक्रिया निर्धारित करना व भुगतान को अधिकृत करना।

(2) परिचालन मद में आय व व्यय का जायजा लेना व कुल भार विशेष मद में आय वांछनीय व्यय कम होने पर विद्यार्थियों से फीस वसूल करने पर विचार कर फीस की दरों के प्रस्ताव साधारण सभा को अनुमादनार्थ प्रेषित करना।

(3) वार्षिक बजट पारित करना।

(4) समिति की सम्पति की सुरक्षा करना।

(5) साधारण सभा द्वारा पारित निर्णय को क्रियान्वित करना।

(6) अन्य कार्य जो समिति के हितार्थ हो, करना।

15.कार्यकारिणी समिति की बैठके :— (1) कार्यकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी को किसी भी समय बैठक बुलाने के निर्देश देने का अधिकार होगा जिसकी अनुपालना अध्यक्ष द्वारा एक सप्ताह में करना अनिवार्य होगा।

(3) बैठक का कोरम कार्यकारिणी समिति की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा परन्तु ऐसी किसी बैठक जिसमें 50000/— रूपये से अधिक के व्यय का प्रस्ताव विचाराधिन हो तो उसमें अभिभावको के प्रतिनिधी, मनोनित जन प्रतिनिधी ,उपखण्ड अधिकारी का प्रतिनिधी व छात्र प्रतिनिधी सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

(4) बैठक की सूचना प्रायः सात दिन पूर्व दी जायेगी तथा अति आवश्यक बैठक कम से कम समय 3 दिन की सूचना पर बुलाई जा सकेगी।

(5) बैठक में निर्णय यथा सम्भव सर्वसम्मति से व सर्वसम्मति से न होने पर बहुमत से होगा।

16.कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार के कर्त्तव्य– संस्था की कार्यकारिणी के पदधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगें–

1.अध्यक्ष (1) बैठको की अध्यक्षता करना।

(2) मत बराबर होने पर निर्णायक मत देना।

(3) बैठक आहूत करना।

(4) संमिति का प्रतिनिधित्व करना।

(5) संविदा व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(6) आय व्यय कर नियंत्रण करना तथा कैशियर के माध्यम से लेखे संधारित करना।

2.सदस्य सचिवः–

(1) बैठकें आहूत करने की सूचना जारी करना।

(2) कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

(3) अधिकृत मामलों मे समिति का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना।

(4) सम्पति की सुरक्षा हेतू वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों करना।

17. समिति का कोषः– समिति द्वारा विकास कोष व परिचालन कोष अलग–अलग निम्न प्रकार से संचित किए जाएगें:–

1. विकास कोषः–

(1) राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि।

(2) अभिभावकों व नागरिकों से विकास कार्यों हेतू प्राप्त अनुदान सहायता।

(3) अन्य पूंजीगत प्रकृति की आय।

नोटः– यदि विकास कोष में योगदान सामग्री के रूप में प्राप्त होता है तों उसके अनुमानित मूल्य का हिसाब भी लेखो मे रखा जावेगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

2. परिचालन कोष :–

(1) चन्दा।
(2) शुल्क प्रति छात्र या अन्यथा प्राप्त।
(3) राजकीय सहायता।
(4) अन्य अपूंजीगत प्राप्तियां।

उक्त प्रकार से दोनों कोषों की संचित राशि किसी राष्ट्रियकृत अथवा सहकारी बैंक में अलग–अलग खातों मे रखी जावेगी तथा अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन–देन सम्भव होगा।

18. समिति का अंकेक्षणः– समिति के समस्त लेखा जोखा का वार्षिक अंकेक्षण चार्टर्ड लेखाकार से कराया जायेगा।

19. समिति के विधान मेः परिवर्तन समिति के विधान मे आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के निर्देषानुसार साधारण सभा के कुल उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से या कार्यकारिणी के साधारण सभा के प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से परिवर्तन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. समिति का कवघटनः यदि समिति का विघटन आवश्यक हुआ तो समिति की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली समिति को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। विकास कोष समिति को विद्यालय की चल व अचल सम्पति को बेचने का अधिकार नहीं होगा।

21. समिति के लेखे जोखों का निरीक्षण :– रजिस्ट्रार संस्थाएँ रजसमन्दको समिति के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

मिंाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) .... की सही एवं सच्ची प्रति हैं।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

शपथ पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता एवं पदाधिकारी प्रस्तावित समिति .... के शपथ पूर्वक घोषणा करते है कि :–

1. हमारी प्रस्तावित समिति .... के पंजीयन हेतु कुल .... आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित समिति के नाम पते पर पूर्व में कोई भी समिति पंजीकृत नहीं हैं। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं। समस्त अलग–अलग परिवार से हैं।
3. प्रस्तावित समिति की विधान नियमावली बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई हैं।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते है, के अनुसार समिति की कार्यकारिणी एवं सभी सदस्यों का समिति के उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित समिति किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
6. प्रस्तावित समिति का पंजीकृत कार्यालय... राजसमन्द हैं, तथा समिति का कार्यक्षैत्र विद्यालय परिसर तक सीमित रहेगा।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक अंकित तथ्यों के विपरित कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएँ राजसमन्द को इस समिति का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

हम उपरोक्त शपथगृहिता सत्यापित करते है कि बिन्दु सं. 1 से 7 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया हैं। उपरोक्त तथ्यों के विपरित कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएँ राजसमन्द को इस समिति का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी हैं।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

नोट :– सलंग्न दस्तावेज :–

(1) समिति के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार (संस्थाएँ) राजसमन्द के नाम से एक प्रार्थना पत्र ।

(2) 10/– के स्टाम्प पर उक्त शपथ पत्र ।

(3) पंजीयन संबंधी प्रस्ताव की छाया प्रति जो अध्यक्ष ,सचिव व कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से प्रमाणित हो।

(4) पहचान पत्रों की छाया प्रतियाँ (सत्यापित प्रतियाँ)